आवश्यक

संख्या:79/2022/1445/1363531/12-2099/85/2021

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक: 10 अक्टूबर, 2022

विषय: फसलों के अवशेष जलाये जाने से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या: 31/2021/1176/1363531/12-2099/85/ 2021, दिनांक 09 जून, 2021, शासनादेश संख्या: 39/2019/2882/12-2-2019-14/2016, दिनांक 04 अक्टूबर, 2019 एवं शासनादेश संख्या: 42/2019/2997/12-2-19-14/2016, दिनांक 19 अक्टूबर, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा फसलों के अवशेष जलाये जाने से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के दृष्टिगत शासन स्तर एवं जनपद स्तर पर एक सेल का गठन करते हुए प्रत्येक दिन अनुश्रवण किए जाने एवं प्रत्येक गांव के ग्राम प्रधान एवं क्षेत्रीय लेखपाल को किसी भी दशा में अपने से सबंधित क्षेत्र में पराली/कृषि अपशिष्ट न जलाये जाने हेतु कार्यवाही किए जाने के साथ ही कृषकों के मध्य पराली जलाने से मिट्टी, जलवायु एवं मानव स्वास्थ्य को होने वाली हानि से अवगत कराने एवं जिन कृषकों द्वारा पराली जलाये जाने की घटना सामने आती है, के विरूद्ध विधिक कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. उल्लेखनीय है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) संख्या: 13029 /1985 एम0 सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओरिजिनल अप्लीकेशन नं0-666/2018 श्रीमती गंगा लालवानी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में निर्गत आदेशों के अनुपालन में फसल अवशेष जलाये जाने से हो रहे वायु प्रदूषण की रोकथाम किया जाना अनिवार्य है। **निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग ने भी अपने पत्र दिनाक 04 अक्टूबर,** 2022 द्वारा पराली को जलाने की घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिये गये हैं।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि फसलों के अवशेष जलाये जाने से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण की रोकथाम हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) **इन-सीटू योजनान्तर्गत यंत्र का वितरण:**

भारत सरकार द्वारा संचालित फसल अवशेष प्रबंधन की योजना अन्तर्गत फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 14 प्रकार के यंत्र चिन्हित किए गए हैं। कृषकों को यह यंत्र उपलब्ध कराने हेतु निम्नवत व्यवस्था बनाई गई है:-

1.1 व्यक्तिगत कृषकों को कृषि यंत्र तथा एफ0पी0ओ0 द्वारा फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना।

1.1.1 व्यक्तिगत कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान तथा एफ0पी0ओ0, सहकारी समिति एवं पंचायतों को फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु 80 प्रतिशत अनुदान पर यंत्र विभागीय पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी एवं यंत्रों का चयन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

1.1.2 चयन की प्रक्रिया समयान्तर्गत पूर्ण कर ली जानी है तथा दिनांक 15 अक्टूबर, 2022 तक यंत्रों का क्रय सुनिश्चित किया जाना है। तद्नुसार जनपद स्तर पर समीक्षा कर यंत्रों के क्रय का शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति कराना सुनिश्चित किया जाए।

(2) **आई0ई0सी0 के कार्य**:-

कृषकों को जागरूक बनाने के लिए इन्फार्मेशन एजूकेशन कम्यूनिकेशन (आई0ई0सी0) एक्टिविटी तत्काल प्रारम्भ कर दी जाए एवं कृषकों से संबंधित प्रत्येक विभाग के कार्यवाही का समावेश इनमें किया जाए।

2.1 जनपद स्तर पर आयोजित की जाने वाली गोष्ठियों को प्रारम्भ कर दिया जाए तथा फसल अवशेष जलाने से मिट्टी, जलवायु व मानव स्वास्थ्य को होने वाली हानियों से अवगत कराया जाए।

2.2 कृषकों को यह अवगत कराया जाए कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुसार फसल अवशेष जलाना एक दण्डनीय अपराध है। राजस्व विभाग के आदेश संख्या: 1618/1-9-2017-रा0-9, दिनांक 13 नवम्बर, 2017 द्वारा पर्यावरण को हो रही क्षतिपूर्ति की वसूली के निर्देश दिये गये हैं। इसमें 02 एकड़ से कम क्षेत्र के लिए रू0 2500/-, 02 से 05 एकड़ क्षेत्र के लिए रू0 5000/- तथा 05 एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए रू0 15000/- तक पर्यावरण कम्पन्सेशन की वसूली के निर्देश हैं।

2.3 पराली जलाने की घटना पाए जाने पर संबंधित को दण्डित करने के सम्बन्ध में राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या: 1618/1-9-2017-रा0-9, दिनांक 13 नवम्बर, 2017 द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम की धारा-24 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की वसूली एवं धारा-26 के अन्तर्गत उल्लंघन की पुनरावृत्ति होने पर संबंधित के विरूद्ध अर्थदण्ड इत्यादि की कार्यवाही की जाएगी, से भी कृषको अवगत कराया जाए।

2.4 मुख्यालय स्तर पर कृषकों की बात वैज्ञानिकों के साथ वार्ता में कृषकों को फसल अवशेष जलाने के सम्बन्ध में अवगत कराया जा चुका है। निकट भविष्य में आयोजित होने वाली मिलियिन फार्मर्स स्कूल के माध्यम से भी कृषकों को पराली जलाने की घटनाओं की रोकथाम एवं इससे हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में अवगत कराया जाए।

(3) **पराली का एक्स-सीटू प्रबंधन**:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3.1 गत वित्तीय वर्ष में जिन कृषकों के खेत में फसल अवशेष जलाने की घटनायें सामने आयीं, उन कृषकों के खेत से पराली संग्रह कर निराश्रित गौशालाओं में रखा जाए।
3.2 कृषकों के खेत से पराली संग्रह करने हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था मनरेगा अथवा वित्त आयोग द्वारा की जाए।
3.3 कृषकों के खेत से गौशाला स्थल तक पराली का ढुलान पंचायत राज अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या: 1076/33-1-2020-3003/2017, दिनांक 02 जून, 2020 के प्रस्तर-2 में दिये गए निर्देशानुसार किया जाए।
3.4 पराली में उपलब्ध सिलिका की मात्रा के दृष्टिगत गौशालाओं में चारे हेतु उपयोग में लाए जाने वाले चारे की कुल मात्रा का अधिकतम 25 प्रतिशत पराली चारे को मिश्रित कर किया जाए।

3.5 पराली का गौशाला स्थल में पुशओं के विछावन या अन्य उपयोग में भी लाया जाए।
3.6 वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदेश में कम से कम 20 हजार मैट्रिक टन पराली निराश्रित गौशालाओं में भेजा जाए। गौशालाओं में निराश्रित पशुओं के चारे हेतु पराली, चारा/भूसा बैंक के रूप में क्रियान्वित किया जाए।
3.7 गत वर्षो में सफलतापूर्वक संचालित ''पराली दो-खाद लो'' कार्यक्रम का संचालन वृहद रूप से सभी जनपदों में स्थापित गौशालाओं में अनिवार्य रूप से चलाया जाए।

(4) **<u>प्रवर्तन की कार्यवाही</u>**:

4.1 प्रत्येक राजस्व ग्राम अथवा राजस्व ग्राम कलस्टर के लिए एक राजकीय कर्मचारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जो कि कृषकों के मध्य प्रचार-प्रसार करते हुए फसल अवशेष को न जलने देने के लिए आवश्यक कदम उठायें।
4.2 राजस्व ग्राम के लेखपाल की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने क्षेत्र में फसल अवशेष जलने की घटनायें बिल्कुल न होने दें अन्यथा उनके विरूद्ध भी कार्यवाही की जाएगी।
4.3 समस्त थाना प्रभारियों को यथोचित समय पर निर्देश प्रसारित किये जायें कि वे अपने क्षेत्र में फसल अवशेष को जलने से रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा किसी भी दशा में फसल अवशेष को न जलने दें।
4.4 जनपद स्तर पर अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में एक सेल स्थापित करने के निर्देश पूर्व में दिये जा चुके हैं। उक्त सेल फसल की कटाई से रबी की बुवाई तक आवश्यक मानीटरिंग की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।
4.5 शासनादेश संख्या: 581/35-1-2018-05, दिनांक 06 अगस्त, 2018 द्वारा संबंधित उप जिलाधिकारी के प्रवर्तन में गठित सचल दस्ते को भी फसल की कटाई के प्रारम्भ होने के पूर्व क्रियाशील कर दिया जाए। सचल दस्ते का यह दायित्व होगा कि फसल अवशेष जलने की घटना की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचकर संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
4.6 यह सुनिश्चित किया जाए कि फसल कटाई के दौरान प्रयोग की जाने वाली कम्बाईन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनजमेंट सिस्टम अथवा स्ट्रा रीपर अथवा स्ट्रा रेक एवं बेलर अथवा अन्य कोई फसल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अवशेष प्रबंधन यंत्र का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त व्यवस्था बगैर कोई भी कम्बाइन हार्वेस्टर से कटाई न करने पाए।

4.7 यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जनपद में चलने वाली प्रत्येक कम्बाईन हार्वेस्टर के साथ कृषि विभाग/ग्राम्य विकास विभाग का एक कर्मचारी नामित रहे, जिसके द्वारा अपनी देख-रेख में कटाई का कार्य कराया जाएगा। यदि कोई भी कम्बाइन हार्वेस्टर सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम अथवा स्ट्रा रीपर अथवा स्ट्रा रेक एवं बेलर या अन्य फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों के बगैर चलते हुए पायी जाए तो उसको तत्काल सीज करते हुए कम्बाइन मालिक के स्वयं के खर्चे पर सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगवाकर ही छोड़ा जाए।

4.8 उक्त के अतिरिक्त गन्ना की कटाई के दौरान गन्ने की पत्तियों को जलाए जाने की घटनायें भी प्रकाश में आती हैं। इसके दृष्टिगत यह भी सुनिश्चित किया जाए कि गन्ने की पत्तियों को न जलने दिया जाए।

4.9 इस अवधि में कूड़ा जलने की घटनाओं के रोकने के लिए भी प्रभावी कदम उठायें जायें।

4. जिलाधिकारियों का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि उनके जनपद में फसल अवशेष/कूड़ा जलने की किसी घटना को रोकने हेतु कार्ययोजना का समयबद्ध क्रियान्वयन समस्त विभागों से समन्वय कर सुनिश्चित करें। कृषि अपशिष्ट जलने की घटनायें पाये जाने पर मा0 न्यायालयों के आदेशों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रत्येक स्तर का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए।

5. कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए इसका नियमित एवं प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,
दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव।

संख्या:79/2022/1445(1)/1363531/12-2099/85/2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त उल्लिखित बिन्दुओं पर अपने स्तर पर प्रतिदिन समीक्षा करते हुए इसकी सूचना प्रतिदिन उपलब्ध कराने का कष्ट करें:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/ आवास एवं शहरी नियोजन/लोक निर्माण/ऊर्जा/पंचायती राज/ग्राम्य विकास/गृह विभाग/राजस्व/परिवहन/पशुपालन/सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना-एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
4. सचिव, वायु गुणवत्ता आयोग, नई दिल्ली।
5. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।